Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(10)	(11)
(i) 50% by composite method, [Deputation (including short-term contract)/ promotion]; (ii) 50% by deputation (including short-term contract)	Composite method deputation (including short-term contract) plus promotion: Officers under the Central Government or State Government/Union territories/Recognized Research Institutions/Universities or Public Sector Undertakings or Semi-Government/Statutory or Autonomous Organisations:- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years' regular service in the level-4(Rs. 25500-81100) or equivalent. **Note1:** The departmental Stenographer Grade-II in Level-4 with ten years regular service in the grade is to be considered along with the outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2:** Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organizations or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/21/14-EPI]

B. L. MEENA, Under Secy.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 407.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, आशुलिपिक श्रेणी - II समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे में आशुलिपिक श्रेणी - II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, आशुलिपिक श्रेणी - II समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ **(5)** से स्तंभ **(13)** में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति, --

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऎसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आशुलिपिक श्रेणी - II	6* (2017) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग,' अराजपत्रित, सचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स स्तर- 04 (25500-81100 रुपये)	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु -सीमा
(6)
18 और 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवा के लिए, साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति**यों** और अनुसूचित जनजाति**यों** के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है ।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,

त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों से नामों को भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(7)	(8)	(9)
(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और (क) श्रुतलेखन : 10 मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट की दर से ; (ख) **अनुलिपीकरण:** कंप्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिंदी). **टिप्पण :** अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।	लागू नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्निति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ आमेलन जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
सीधी भर्ती	लागू नहीं

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
पुष्टि करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्न्ति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. वैज्ञानिक 'ई', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे - अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक 'डी' केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे - सदस्य 3. अन्य केन्द्रीय सरकार, मंत्रालय / विभाग से समूह ' क' अधिकारी – सदस्य	पद पर भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए-12018/38/2017-ई. II)]

आर. एन. दीक्षित, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 8th November, 2017

G.S.R. 407.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, Stenographer Grade-II Group 'C' Post Recruitment Rules 2011, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-II, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, the Central Water and Power Research Station, Pune, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, Stenographer Grade-II, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in the pay matrix.— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. —No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Casts, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stenographer Grade-II	6* (2017) * subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'C' non-Gazetted Ministerial.	Level- 04 in pay matrix (Rs. 25500-81100).	Not applicable

Age-limit for direct recruits
(6)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Schedules Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2 : The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualification required for direct recruits
(7)
(i)12th class pass or equivalent from a recognised Board; and (ii) (a) **Dictation** : 10 minutes @ 80 words per minute; (b) **Transcription** : 50 minutes (English) or 65 minutes (Hindi) on computer. **Note :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Central Government.

Whether age and qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or promotion or deputation / absorption, and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	Direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Promotion Committee, for confirmation, consisting of:** 1. Scientist 'E', Central Water and Power Research Station, Pune - Chairman 2. Scientist 'D', Central Water and Power Research Station, Pune -Member 3. Group 'A' Officer from other Central Government, Ministry /Department - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/38/2017-E.II]

R. N. DIXIT, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 408.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे (सहायक प्रलेखीकरण अधिकारी) भर्ती नियम 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी समूह 'ख' पद, भर्ती नियम 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।